

5154/12 SDV



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B-620309

B-620309

कोटागर, सीपी



विक्रित सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के भाग-4 (क-1) (IV) के पेज सं. 11 के क्रम संख्या 1213 वाकै मौजा मैरी ब्लाक बड़ागोंव तहसील व जिला झाँसी के अनुसार सामान्य भूमि की दर 13,00,000/- रूपया प्रति हेक्टेयर। विक्रित आराजी किसी भी सर्वक्रतु मार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग/NH पर स्थित नहीं है।

स्टाम्प का कुल योग	-	1,61,000/-
दस्तावेज का प्रकार	-	बैनामा

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य	-	23,00,000/-
विक्रय मूल्य	-	22,50,000/-

संगत प्रमाणित *प्रमाणित* *प्रमाणित*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 620310

B 620310



(2)

मौजा -
ब्लाक -
सम्पत्ति का प्रकार -
मापन की इकाई -
सम्पत्ति का क्षेत्रफल -
सड़क की स्थिति -
पेड़ों का मूल्यांकन -
बोरिंग / कुआँ / अन्य -

मैरी -
बड़ागोंव -
कृषिकीय -
हेक्टेयर -

1.769 हेक्टेयर यानि 4 एकड़ 37 डेसीमल

विक्रित आराजी सड़क एवं आबादी से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
कोई पेड़ नहीं है।
कोई कुआँ नहीं है।

बोराव माली

गुडिमा

Amur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B-620311

कोषागार, हॉली

मुख्य न्यायाधीश

(3)

प्रथम पक्ष की संख्या - - पाँच
द्वितीय पक्ष की संख्या - - एक

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष-श्री मंगल प्रसाद उर्फ मंगल माली निवासी-50, वैद्यराज, शहर व जिला झाँसी हॉल निवासी-215, ग्राम मैरी तहसील व जिला झाँसी (पहचान, पहचान पत्र सं० GYR4331989 से की गयी है।) व श्री कुंजीलाल उर्फ कुंजी व निवासी-50, वैद्यराज, शहर व जिला झाँसी व हॉल निवासी-50, तिलयानी बजरिया शहर व जिला झाँसी (पहचान, पहचान पत्र सं० UP/61/328/117463 से की गयी है।) पुत्रगण श्री गोविन्दास व श्री अमित उर्फ अमित सैनी (पहचान, पेनकार्ड नं. DKIPS4311H से की गयी है) व श्री अमर उर्फ अमर चन्द्र सैनी निवासी-50, वैद्यराज, शहर व जिला झाँसी

मंगल माली

श्री मंगल माली

अमित सैनी

अमर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B-620312

B-620312

कोवाजद, झाँसी
मुख्य लिखा नमोस्ते

(4)

(पहचान, पहचान पत्र सं० ZTU1385640 से की गयी है।)
पुत्रगण स्व० कैलाश व श्रीमती रंजना पत्नी स्व०
कैलाश निवासी-511, वैद्यराज, शहर व जिला झाँसी
(पहचान, पहचान पत्र सं० DCT4915286 से की गयी है।)
व हॉल निवासीगण-ग्राम मैरी तहसील व जिला
झाँसी

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष- सनफ्रान डेवलपर प्रा० लि० 143 त्रिभुवन काम्लेक्स
ईश्वर नगर मथुरा रोड नई दिल्ली द्वारा प्रतिनिधि
श्री चेतन श्रीवास्तव पुत्र श्री एस० सी० श्रीवास्तव
निवासी-निकट जार पहाड़ सर्वनगर, सी.पी. मिशन
कम्पाउण्ड, झाँसी (पहचान, पेन कार्ड सं.
BLEPS5270G से की गयी है)

मेजरजीजी के दाहिने कोने

अभिप्राय

अमेर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 620313

B-620313

कोटागार, झोंकी

मुख्य सचिव, के. ग. अ. कारो

(5)

सम्पत्ति का विवरण :- आराजी भूमिधरी वाकै मौजा मैरी ब्लाक बड़ागोंव परगना व जिला झाँसी जिसका खाता संख्या 00165 आराजी नम्बर 250 मि 0 रकवा 2.468 हेक्टेयर में से रकवा 1.769 हेक्टेयर यानि 4 एकड़ 37 डेसीमल वय की गयी है। विक्रित आराजी सड़क एवं आबादी से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रित आराजी किसी भी सर्वस्वतु मार्ग, जनपदीय मार्ग या लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। दस्तावेज हाजा के साथ विक्रित आराजी का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रित आराजी नम्बर वरंग लाल से दर्शाया गया है, जो बैनामा का अंश भाग है। विक्रित आराजी औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं है विशुद्ध कृषिकीय भूमि है। विक्रित आराजी में कोई पेड़ कुओं आदि नहीं है। विक्रित आराजी राकर सोयम सिंचित है। वयशुदा आराजी का नया लगान 10.85 रुपया सालाना है। वयशुदा आराजी ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। उक्त आराजी में अकृषक भूमि की घोषणा यू0पी0 जेड0ए0 एण्ड एल.आर. एकट की धारा 143 की घोषणा नहीं हुई है। तहसील सदर के राजस्व अभिलेखों में भी विक्रित भूमि कृषिकीय भूमि के रूप में दर्ज है। एवं वर्तमान में कृषि कार्य के उपयोग में लायी जा रही है। इस प्रकार

सहायक मजि

अ. र. म. अ. म.

अधीक्षक मजि

अधीक्षक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 620314

B 620314

कोवागार, झोंसी

मुख्य निदेशिका कोवागार

(6)

विक्रित भूमि राजस्व अभिलेखों में एवं मौके के अनुसार लगान अदा करने वाली कृषिकीय भूमि है। विक्रित आराजी मूल्यांकन सूची में राजस्व ग्रामों में सड़क से संलग्न व आबादी से 200 मीटर सीमान्तर्गत स्थित आराजीयत की सूची (वर्तमान प्रभावी मूल्यांकन सूची के पेज सं. 36, 37 क्रम संख्या 5) में वर्णित क्षेत्रवार नम्बरान के किसी भी नम्बरान के अन्तर्गत नहीं आती है। विक्रित आराजी विक्रेता नम्बर 1 व 2 ने स्वयं व विक्रेता नं० 5 के स्व० पति व विक्रेता 3 व 4 के स्व० पिता स्व० श्री कैलाशचन्द्र ने सयुक्त रूप से जरिये 2 किता बैनामा दिनांक 20-12-1991 ई० को श्री कालीचरण पुत्र श्री हरलाल से खरीद की थी। जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार झोंसी में फोटो स्टेट प्रतिपुस्तक सं. I खण्ड 399 के पेज सं. 263/274 पर क्रम संख्या 8849 दिनांक 23-12-1991 ई० दर्ज है। व द्वितीय बैनामा दिनांक 29-04-1993 ई० को श्री धनीराम पुत्र श्री हरलाल से खरीद की थी। जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार झोंसी में फोटो स्टेट प्रतिपुस्तक सं. I खण्ड 640 के पेज सं. 353/368 पर क्रम संख्या 2547 दिनांक 30-04-1993 ई० दर्ज है।

विक्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नहीं है।

मेगलमल

अभिषेक

अभिषेक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 907156

(7)



विक्रय मूल्य- 22,50,000/- बाईस लाख पचास हजार रूपया जो जसिये 2
किता चैक जिसमें मु0 20,00,000/- रूपया जसिये चैक नं.
452271 पंजाब नेशनल बैंक, फोर्ट, झाँसी दिनांक 05-05-2012
ई0 व मु0 2,50,000/- रूपया जसिये चैक नं. 442000 पंजाब
नेशनल बैंक, फोर्ट, झाँसी दिनांक 05-05-2012 ई0 द्वारा पूर्व
प्राप्त कर लिया है।

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा 23,00,000/- तेईस लाख रूपया से
निर्धारित मूल्यंकन सूची के अनुसार मूल्य } अधिक नहीं है।

हम कि विक्रेतागण उपरोक्त आराजी उपरोक्त के सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व
दखील हैं, जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं है यानि हर प्रकार के जुम्लावार किलात
से पाक साफ व वरी है न ही आराजी के स्वामित्व के सम्बन्ध मे कोई वाद न्यायालय में
विचाराधीन है न ही आराजी किसी जमानत, डिग्री, ऋण आदि में मगफूल है। चूँकि हम
विक्रेतागण को रूपयों की जरूरत है अतः हम विक्रेतागण अपनी उपरोक्त आराजी वकीमत
उपरोक्त में वहक क्रेता उपरोक्त वय व फरोख्त करते हैं, कब्जा दखल मालिकाना आज ही

मुजामिली

अभिप्रेत

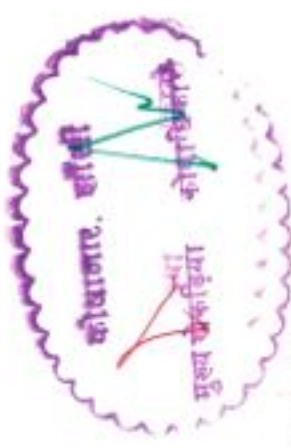
Amesh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 907155

(8)



की तारीख से क्रेता उपरोक्त को वखूवी मौके पर करा दिया है अधिकार आप क्रेता आराजी मुवैया में स्वयं काशत करें, या किसी अन्य व्यक्ति से काशत करावें, कागजात मालिकान से हमारा नाम धारिज कराके अपना नाम दर्ज कागजात करावें वय हिवा रहिन करें गर्ज यह है कि जो जी झाहे सो करें। आज की तारीख से आराजी मुवैया से हमारा व हमारे वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा न आयन्दा होगा। काश किसी कानूनी नुक्स की वजह से आराजी मुवैया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा व खर्चा के देनदार व जिम्मेदार हम विक्रेतागण रहेंगे। विक्रेतागण एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन की प्रमावित करने वाले किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया है सभी तथ्य सही-सही एवं पूर्ण वर्णित किये गये हैं। यदि विक्रेतागण द्वारा तहरीरशुदा दस्तावेज में किन्ही तथ्यों को छुपाया जाता है या कोई कूट रचना करायी जाती है तो उक्त कृत्य का सम्पूर्ण दायित्व मुकदमों आदि जैसे फौजदारी, दीवानी, माल, राजस्व, स्टाम्प एक्ट के वादों का दायित्व विक्रेतागण का ही होगा, सब रजिस्ट्रार, वकील (एडवोकेट), दस्तावेज लेखक, टाईपकर्ता या जरिये वकील चित्र प्रमाणित के गवाह का नहीं होगा, कूट रचित दस्तावेज का सम्पूर्ण दायित्व विक्रेतागण का ही होगा। लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेतागण एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तथा बिना किसी जब्र या दबाव के यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवे।

मंगल मल्लिक
अभिषेक



एक किता
स्थित
नाम विकेता
नाम केता
चौहादी
पर्व

मंसलमान

७ ४ ६ ७ ८

अभिमान

अमर

रंग

अभिमान

अभिमान

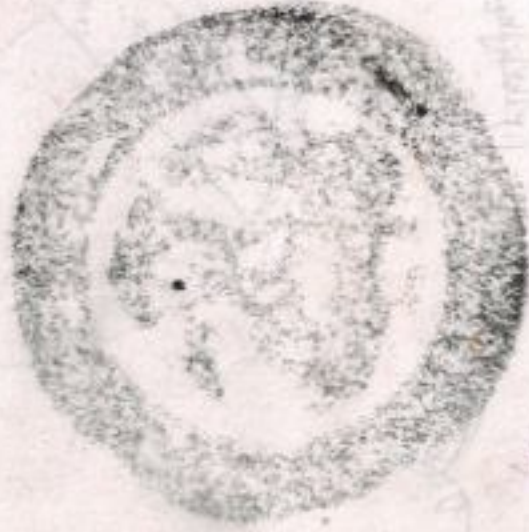
आज दिनांक 26/07/2012 को

यही सं. 1 जिल्द सं. 5030

पृष्ठ सं. 165 से 186 पर कमांक 5154

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर




प्रकाशचन्द्र गुप्ता

उप निबन्धक प्रथम

झोंसी

20/7/2012

न्यायावध सहजीव सा गोरी

वाद सं. 1280/11-12

आप फैसला 15/9/12



महेश

6/11/12